596

555

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।)

क्रमांकः– ओ0एस0डी0/नविवि/2011/ दिनांकः–

अवार्ड

विषयः–केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना ग्राम खींदरसर, जिला झुन्झुनू में कुल रकबा 22.778 हैक्टेयर का अवार्ड जारी करने बाबत।

सन्दर्भः–अधिसूचना क्रमांक पं.7(5)न.वि.वि./III/06 दिनांक 26.09.07

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम खींदरसर, जिला झुन्झुनू के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.09.07 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त अधिसूचना का 05.10.07 को राजस्थान राज–पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन कराया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 23.07.07 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाए गये जिनकी तामीली की अन्तिम दिनांक 29.08.08 अंकित की गयी है। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा "राजस्थान पत्रिका" व "उद्योग आस–पास" सीकर में दिनांक 23.12.07 को प्रकाशन करवाया गया। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 29.08.08 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में तत्कालीन विशेषाधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण दिनांक 25.09.10 को आवासीय अभियंता व हल्का पटवारी के साथ किया गया जिसमें धारा 4(1) के समय प्राप्त सभी आपत्तियों को निरस्त कर मौका रिपोर्ट में कुल 22.778 हैक्टेयर अवाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 10.08.09 को 22.778 हैक्टेयर की जारी की गयी जिसका राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में 17.08.09 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों में "राजस्थान पत्रिका" व "राजस्थान स्टेटमेन्ट" में दिनांक 05.12.09 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 04.01.10 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये। इस प्रकार तामीली की अन्तिम दिनांक 11.01.10 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के नोटिस दिनांक 11.03.10 को एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 09.03.11 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया।

धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार ग्राम खींदरसर की अवाप्ताधीन भूमि का विवरण

क्र.सं.	भूमि स्वामित्व	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5
1/97	एमना पत्नी सफीक	421/1023	00.61	चाही तृतीय **नोटः**–एस. वी. सिविल रिट याचिका सं. 5657/07 के तहत खसरा नं. 421/1023 में दिनांक 23.08.07 को स्थगन आदेश जारी।
	इस्माल पुत्र मोहम्मद सफीक जतून पत्नी मोहम्मद ननी मो. सफी पुत्र अब्दुल मो. रफीक पुत्र मो. सफी युसूफ पुत्र मो. सफी अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल रहीम मुता जमाबन्दी की छाया प्रति दिनांक 06.06.06 के अनुसार	421/1024 421/1025 421/ 421/1028 421/1029 421/1030	00.36 00.36 00.247 00.247 00.247 00.247	चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय
2/159	राजेन्द्र प्रसाद दत्तक पुत्र कजोड़ 5/111 नि. ग्राम रामनिवास पुत्र महादाराम जाति चमार नि. दुरजनपुरा रकबा 1/3 सुमित्रा देवी पुत्री कजोड़ हि. 1/2 नि. ग्राम कौम चमार खातेदार	183/415	03.11	बारानी प्रारम्भ **नोटः**–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 9127/07 के तहत खसरा नं. 183/415 में 0.26 है. रकबे पर दिनांक 05.11.07 को स्थगन आदेश जारी।
3/180	लियाकत अली, जाबर अली, अनवर अली फारूक अली, इकबाल हुसैन पिता बख्तावर खॉ जाति क्यामखानी ग्राम	561 416 184/562 16/995	00.96 02.59 00.12 00.01	बारानी द्वितीय चाही तृतीय चाही तृतीय गै.मु.चाह **नोटः**–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 928/09 के तहत खसरा नं. 561 में दिनांक 13.05.09 को स्थगन आदेश जारी।
4/138	मूंगाराम, धन्नाराम, जमनाराम गोवर्धन पिता नोपा हि. बराबर जाति चमार ग्राम खातेदार	410 411	01.00 01.05	बारानी द्वितीय बारानी प्रारम्भ
5/28	करनीराम, महेश कुमार पिता भजनाराम जाति चमार ग्राम खातेदार	181, 413 182, 414	00.76 00.30	बारानी द्वितीय बारानी प्रारम्भ
6/47	छोटी देवी धर्मपत्नी जिनकूराम जाति बलाई खातेदार	181, 412	01.15	बारानी द्वितीय

उप सचिव
विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

598

7/65	नवाब अली खॉ, पुत्र वारिस खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	409	01.63	बारानी द्वितीय
8/90	फैजर अली पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी	408	00.40	बारानी द्वितीय
9/47	यासीन खॉ इसफर खॉ पिता करीम खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम	557 558 560 559	00.18 00.01 01.42 01.61	बारानी द्वितीय गै.मु.चाह बारानी तृतीय बारानी द्वितीय **नोटः**–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 1968/08 के तहत खसरा नं. 559 में 1639 वर्गगज पर दिनांक 03.03.08 को स्थगन आदेश जारी।
10/148	युनस खॉ पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	408/917	00.40	बारानी द्वितीय **नोटः**–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 890/08 के तहत खसरा नं. 408/917 में दिनांक 04.02.08 को स्थगन आदेश जारी।
11/12	इनायत खॉ पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी नि.ग्राम खातेदार	408/916	00.40	बारानी द्वितीय
12/13	इमदाद खॉ पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	408/918	00.42	बारानी द्वितीय **नोटः**–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 890/08 के तहत खसरा नं. 408/918 में दिनांक 04.02.08 को स्थगन आदेश जारी।
13/155	राकेश कुमार पुत्र मालीराम जाति जाट नि. खिदरसर रघुवीर पुत्र जवानाराम जाति जाट, इवाई पट्टी के पास झूंझूनूं करणी सिंह पुत्र बजरंग लाल जाट झूंझूनू खातेदार	556	0.20	बारानी तृतीय
14/235	सिवाय चक बिला लगानी रास्ता	541	0.11	गै.मु.रास्ता
15/74	प्यारे लाल पुत्र नारायण जाति जाट नि. रघुनाथपुरा हाल आबाद झूंझूनूं हि. 1/3 यासीन खॉ पुत्र वारिस खॉ देह हिस्सा 0.2111/4 जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	537 538	0.84 00.01	बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय
16/86	फूलचन्द पुत्र कुशलाराम जाति कुमावत नि. ग्राम खातेदार	563	1.78	बारानी द्वितीय
		योग	**22.778 है.**	

शासन उप सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्ताधीन भूमि के खसरा नं. 559 के सम्बन्ध में सचिव, राज. आवासन मण्डल ने पत्रांक 1552 दिनांक 28.01.11 द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त खसरे के मुआवजे स्वरूप विकसित भूखण्ड देने का प्रार्थना पत्र खातेदार द्वारा उन्हें प्रस्तुत किया गया है जिसकी मण्डल द्वारा सिद्धान्तः सहमति देते हुए उनके द्वारा अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया गया। खसरा नं. 559 के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया यह भूमि वर्तमान में नगरपालिका झुन्झुनू के नाम दर्ज है। अतः उक्त खातेदार को मुआवजा स्वरूप 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड प्रश्नगतभूमि का नगरपालिका झुन्झुनू के पक्ष में नामान्तरण खुल जाने के कारण नहीं दिया जा रहा है।

खसरा नं. 421 उसके बटान में अब्दुल मजीद, युसूफ, मोहम्मद रफीक, जतून स्माईल, मोहम्मद सफीक इत्यादि ने दिनांक 13.04.11 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि उपरोक्त खसरों में 90बी हो चुकी है तथा आवासन मण्डल ने इस योजना के उपयुक्त नहीं माना। अतः राज्य सरकार से निर्णय होने तक 421 व इसके बटान को अवाप्ति से मुक्त रखा जावे। इस सम्बन्ध में मण्डल द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 01.02.08 की छाया प्रति संलग्न की गई। प्रार्थियों द्वारा उक्त खसरे के सम्बन्ध में अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

खसरा नं. 559 में ही विमला देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री विद्याधर ने दिनांक 03.06.10 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त खसरे में प्रार्थीगण द्वारा 400–400 वर्गगज के प्लाट क्रय किए गए हैं एवं नामान्तरण उनके पक्ष में हो गया है। अतः उक्त खसरे में प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर मुआवजा स्वरूप प्लाट के बदले प्लाट दिलवाया जावे। खसरा नं. 415 में दिनांक 27.08.10 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फैयाज मोहम्मद पुत्र हासम अलीखां ने बताया कि उक्त खसरा नं. में 90बी की कार्यवाही हो चुकी है तथा खसरा नगरपालिका झुन्झुनू के नाम दर्ज है। अतः अवाप्ति से मुक्त रखी जावे।

प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्तमान में खसरा नं. 559 व 415 नगरपालिका झुन्झुनू के नाम दर्ज है। उक्तानुसार भूमि के विवरण में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।

ग्राम खींदरसर, जिला झुन्झुनू कुल रकबा 22.778 है. अवाप्ताधीन भूमि का संशोधित विवरणः–

क्र.सं.	भूमि स्वामित्व	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5
1/97	एमना पत्नी सफीक	421/1023	00.61	चाही तृतीय नोटः–एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5657/07 के तहत खसरा नं. 421/1023 में दिनांक 23.08.07 को स्थगन आदेश जारी।
	इस्माल पुत्र मोहम्मद सफीक जतून पत्नी मोहम्मद ननी मो. सफी पुत्र अब्दुल मो. रफीक पुत्र मो. सफी युसूफ पुत्र मो. सफी अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल रहीम मुता जमाबन्दी की छाया प्रति दिनांक 06.06.06 के अनुसार	421/1024 421/1025 421/ 421/1028 421/1029 421/1030	00.36 00.36 00.247 00.247 00.247 00.247	चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय

Scanned with OKEN Scanner

2/159	नगरपालिका झुन्झुनू	183/415	03.11	नोटः–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 9127/07 के तहत खसरा नं. 183/415 में 0.26 है. रकबे पर दिनांक 05.11.07 को स्थगन आदेश जारी।
3/180	लियाकत अली, जाबर अली, अनवर अली फारूक अली, इकबाल हुसैन पिता बख्तावर खॉ जाति क्यामखानी ग्राम	416 561 184/562 16/995	02.59 00.96 00.12 00.01	चाही तृतीय बारानी द्वितीय चाही तृतीय गै.मु.चाह नोटः–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 928/09 के तहत दिनांक 13.05.09 को स्थगन आदेश जारी।
4/138	मूगाराम, धन्नाराम, जमनाराम गोवर्धन पिता नोपा हि. बराबर जाति चमार ग्राम खातेदार	410 411	01.00 01.05	बारानी द्वितीय बारानी प्रारम्भ
5/28	करनीराम, महेश कुमार पिता भजनाराम जाति चमार ग्राम खातेदार	181, 413 182, 414	00.76 00.30	बारानी द्वितीय बारानी प्रारम्भ
6/47	छोटी देवी धर्मपत्नी जिनकूराम जाति बलाई खातेदार	181, 412	01.15	बारानी द्वितीय
7/65	नवाब अली खॉ, पुत्र वारिस खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	409	01.63	बारानी द्वितीय
8/90	फैजर अली पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी	408	00.40	बारानी द्वितीय
9/47	यासीन खॉ इसफर खॉ पिता करीम खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम	557 558 560	00.18 00.01 01.42	बारानी द्वितीय गै.मु.चाह बारानी तृतीय
	नगरपालिका झुन्झुनू	559	01.61	बारानी द्वितीय नोटः–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 1968/08 के तहत खसरा नं. 559 में 1639 वर्गगज पर दिनांक 03.03.08 को स्थगन आदेश जारी।
10/148	युनस खॉ पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	408/917	00.40	बारानी द्वितीय नोटः–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 890/08 के तहत खसरा नं. 408/917 में दिनांक 04.02.08 को स्थगन आदेश जारी।

शासन उप सचिव
नगरीय विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

11/12	इनायत खॉ पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी नि.ग्राम खातेदार	408/916	00.40	बारानी द्वितीय
12/13	इमदाद खॉ पुत्र शेर खॉ जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	408/918	00.42	बारानी द्वितीय **नोटः**–एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 890/08 के तहत खसरा नं. 408/918 में दिनांक 04.02.08 को स्थगन आदेश जारी।
13/155	राकेश कुमार पुत्र मालीराम जाति जाट नि. खिदरसर रघुवीर पुत्र जवानाराम जाति जाट, इवाई पट्टी के पास झूंझनूं, करणी सिंह पुत्र बजरंग लाल जाट झूंझूनू खातेदार	556	0.20	बारानी तृतीय
14/235	सिवाय चक बिला लगानी रास्ता	541	0.11	गै.मु.रास्ता
15/74	प्यारे लाल पुत्र नारायण जाति जाट नि. रघुनाथपुरा हाल आबाद झूंझूनूं हि. 1/3 यासीन खॉ पुत्र वारिस खॉ देह हिस्सा 0.2111/4 जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	537 538	0.84 00.01	बारानी द्वितीय बारानी द्वितीय
16/86	फूलचन्द पुत्र कुशलाराम जाति कुमावत नि. ग्राम खातेदार	563	1.78	बारानी द्वितीय
		योग	22.778 है.	

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 26.09.07 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें मंगवाने हेतु सूचित किया गया। उप पंजीयक झुन्झूनू ने पत्र दिनांक 09.01.08 द्वारा आवासीय अभियंता के माध्यम से दिनांक 10.01.08 को दरों की छाया प्रति प्रेषित की। आवासीय अभियंता को पुनः दरों की प्रमाणित प्रति भिजवाने हेतु दिनांक 18.11.11 को सूचित किया गया जिसके जवाब में दिनांक 22.11.11 को दरें प्रेषित की। जिसमें डी.एल.सी. दरें प्रति बीघा/प्रति वर्गगज निम्न प्रकार दर्शायी गईः–

कृषि

सिंचित		असिंचित	
रोड़ से दूर 1 कि.मी. तक	रोड़ से दूर 3 कि.मी. तक	रोड़ से दूर 1 कि.मी. तक	रोड़ से दूर 3 कि.मी. तक
10,40,000/– रू. प्रति है.	8,10,000/– रू. प्रति है.	8,80,000/– रू. प्रति है.	6,05,000/– रू. प्रति है.

आवासीय

रोड़ से लगती हुई	रोड़ से दूर
600 प्रति वर्गगज	450 प्रति वर्गगज

आवासीय अभियंता, खण्ड–झुन्झुनू के पत्र दिनांक 22.11.11 में संलग्न नक्शा मौका/डी.एल.सी. दरों के अनुसार खसरा नं. 421 रोड़ से दूर 1 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है।

अवाप्ताधीन भूमि कृषि के अन्तर्गत सिंचित/असिंचित एवं आवासीय श्रेणी की है तथा भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू–अर्जन अधिनियम की धारा 23 में वर्णित अन्य दिग्दर्शकों के सन्दर्भित तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त भूमि के अन्तर्गत सिंचित श्रेणी में रोड़ से 1 कि.मी. दूर तक 10,40,000/–रू. व रोड़ से 3 कि.मी. दूर तक 8,10,000/–रूपये, एवं असिंचित श्रेणी में रोड़ से 1 कि.मी. दूर तक 8,80,000/–रू. व रोड़ से 3 कि.मी. दूर तक होने के कारण 6,05,000/–रूपये, प्रति हैक्टेयर व आवासीय भूमि हेतु 450/– रू. प्रति वर्गगज दिया जाना प्रस्तावित है।

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारों को देय मुआवजा राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती हैं:–

वाद संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हैक्टेयर	नगद मुआवजा/ 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
7(5) 07/1(अ)	एगना पत्नी राफीक	421/1023	00.61	एस.वी.सिविल रिट याचिका सं. 5657/07 के तहत दिनांक 04.02.08 को स्थगन आदेश जारी होने कारण गणना नहीं की जा रही है।	
	इस्माल पुत्र मोहम्मद सफीक	421/1024	00.36	10400 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	374400.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	112320.00
				योग	4,86,720.00
7(5) 07/1(ब)	जतून पत्नी मोहम्मद ननी	421/1025	00.36	10400 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	374400.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	112320.00
				योग	4,86,720.00
7(5) 07/1(स)	मो. सफीक पुत्र अब्दुल	421	00.247	10400 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	256880.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	77064.00
				योग	333944.00
7(5) 07/1(द)	मो. रफीक पुत्र मोहम्मद सफी	421/1028	00.247	10400 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	256880.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	77064.00
				योग	333944.00
7(5) 07/1(य)	युसुफ पुत्र मोहम्मद सफी	421/1029	00.247	10400 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	256880.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	77064.00
				योग	333944.00
7(5) 07/1(र)	अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल रहीम	421/1030	00.247	10400 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	256880.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	77064.00
				योग	333944.00
7(5) 07/2	नगरपालिका, झुन्झुनू	183/415	03.11	भूमि नगरपालिका झुन्झुनू में समाहित हो चुकी है। अतः पुर्नग्रहण/भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश व अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 450 रू. वर्गगज की दर से मुआवजा देय होगा।	
				एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 9127/07 के तहत खसरा नं. 183/415 में 0.26 हे. रकबे पर दिनांक 05.11.07 को स्थगन आदेश जारी होने कारण गणना नहीं की जा रही है।	

7(5) 07/3	लियाकत अली, जावर अली, अनवर अली फारूक अली, इकबाल हुसैन पिता बख्तावर खॉं जाति क्यामखानी ग्राम	416 184/562 16/995 561	02.59 00.12 00.01 00.96	एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 928/09 के तहत दिनांक 03.03.08 को स्थगन आदेश जारी होने के कारण मुआवजे की गणना नहीं की जा रही है।	
7(5) 07/4	मूगाराम,धन्नाराम, जमनाराम गोवर्धन पिता नोपा हि. बराबर जाति चमार ग्राम खातेदार	410 411	01.00 01.05	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	1240250.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	1612325.00
				योग	**372075.00**
7(5) 07/5	करनीराम, महेश कुमार पिता भजनाराम जाति चमार ग्राम खातेदार	181, 413 182, 414	00.76 00.30	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	641300.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	192390.00
				योग	**833690.00**
7(5) 07/6	छोटी देवी धर्मपत्नी जिनकूराम जाति बलाई खातेदार	181, 412	01. 15	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	695750.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	208725.00
				योग	**904475.00**
7(5) 7/7	नवाब अली खॉं, पुत्र वारिस खॉं जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	409	01.63	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	986150.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	295845.00
				योग	**1281995.00**
7(5) 7/8	फैजर अली पुत्र शेर खॉं जाति क्यामखानी	408	00.40	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	242000.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	72600.00
				योग	**314600.00**
7(5) 07/9	यासीन खॉं इसफर खॉं पिता करीम खॉं जाति क्यामखानी नि. ग्राम	558 560 557	00.01 01.42 00.18	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	974050.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	292215.00
				योग	**1266265.00**
	नगरपालिका, झुन्झुनू	559	01.61	भूमि नगरपालिका झुन्झुनू में समाहित हो चुकी है। अतः पुर्नग्रहण/भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश व अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 450 रू. वर्गगज की दर से मुआवजा देय होगा।	
				एस.बी.सिविल रट याचिका सं. 1968/08 के तहत खसरा नं. 559 में 1639 वर्गगज पर दिनांक 03.03.08 को स्थगन आदेश जारी होने के कारण मुआवजे की गणना नहीं की जा रही है।	
7(5) 7/10	युनूस खॉं पुत्र शेर खॉं जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	408/917	00.40	एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 890/08 के तहत दिनांक 04.02.08 को स्थगन आदेश जारी होने के कारण मुआवजे की गणना नहीं की जा रही है।	
7(5) 7/11	इनायत खॉं पुत्र शेर खॉं जाति क्यामखानी नि.ग्राम खातेदार	408/916	00.40	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	242000.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	72600.00
				योग	**314600.00**
7(5) 7/12	इमदाद खॉं पुत्र शेर खॉं जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	408/918	00.42	एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 890/08 के तहत दिनांक 04.02.08 को स्थगन आदेश जारी होने के कारण मुआवजे की गणना नहीं की जा रही है।	

Scanned with OKEN Scanner

(604) 553

7(5) 7/13	राकेश कुमार पुत्र मालीराम जाति जाट नि. खिदरसर रघुवीर पुत्र जवानाराम जाति जाट, इवाई पट्टी के पास झूंझूनूं, करणी सिंह पुत्र बजरंग लाल जाट झूंझूनू खातेदार	556	0.20	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	121000
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	36300.00
				योग	157300.00
7(5) 7/14	सिवाय चक बिला लगानी रास्ता	541	0.11	राजकीय भूमि होने के कारण गणना नहीं की जा रही है।	
7(5) 7/15	प्यारे लाल पुत्र नारायण जाति जाट नि. रघुनाथपुरा हाल आबाद झूंझूनूं हि. 1/3 यासीन खॉं पुत्र वारिस खॉं देह हिस्सा 0.2111/4 जाति क्यामखानी नि. ग्राम खातेदार	537 538	0.84 00.01	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	514250.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	154275.00
				योग	668525.00
7(5) 7/16	फूलचन्द पुत्र कुशलाराम जाति कुमावत नि. ग्राम खातेदार	563	1.78	6050 रू. प्रति एयर भूमि की कीमत	1076900.00
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				30% अनिवार्य अवाप्ति	323070.00
				योग	1399970.00

नोटः–उपरोक्त खसरा सूची में निम्नांकित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, अतः उक्त स्थगन आदेश से प्रभावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगीः–

1. एमना बनाम राज. आवासन मण्डल रिट याचिका सं. 5657/07 स्थगन आदेश दिनांक 23.08.07 से प्रभावित होने के कारण खसरा नम्बर 421/1023 रकबा 0.61 हैक्टेयर भूमि में मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
2. शरबती देवी बनाम राज. आवासन मण्डल रिट नं. 9127/07 स्थगन आदेश दिनांक 05.11.07 से प्रभावित होने के कारण खसरा नम्बर 183/415 में रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि में मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
3. यूनस अली बनाम राज. आवासन मण्डल रिट सं. 890/08 स्थगन आदेश दिनांक 04.02.08 से प्रभावित होने के कारण खसरा नम्बर 408/918, 408/917 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि में मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
4. फारूख अली व अन्य बनाम राज्य सरकार रिट सं. 928/09 स्थगन आदेश दिनांक 13.05.09 से प्रभावित होने के कारण खसरा नं. 561, 416, 184/562, 16/995 रकबा 3.68 हैक्टेयर भूमि में मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
5. रणवीर सिंह बनाम् राजस्थान आवासन मण्डल रिट संख्या 1968/08 स्थगन आदेश दिनांक 03.03.08 से प्रभावित होने के कारण खसरा नं. 559 में रकबा 1638.8 Sq. yards भूमि में मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।

इसी प्रकार खसरा नं. 415 व 559 में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना जारी होने से पूर्व उपरोक्त अवाप्तशुदा खसरा नम्बरान के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा आबादी क्षेत्र मानकर पुर्नग्रहण आदेश उक्त भू–उपयोग परिवर्तन बाबत काश्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी किए जाने के दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर 450 रू. प्रति वर्गगज की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेगी।

शासन उप सचिव
नगरीय विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

605

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है जिसकी गणना तकमीना प्राप्त होने पर की जा सकेगी। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 1500, 500, 100 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ लेना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। साथ ही अवाप्ताधीन भूमि बाबत किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक ....को तैयार कर शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

अनुमोदित

शासन उप सचिव
नगरीय विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

606

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(5)न.वि.वि./3/06 दिनांक 09.01.12 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 09.01.12 को जारी किया गया।

भू–अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू–अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

विशेषाधिकारी

क्रमांकः–ओ.एस.डी./न.वि.वि/11/ दिनांकः– 9.1.2012

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner